

विवाह, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अब ऑनलाइन आवेदन

जयपुर। जयपुर शहरवासियों को व्यक्ति के विवाह प्रमाण पत्र, बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र और पूर्वजों के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए बार बार नगर निगम दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बल्कि निगम प्रशासन खुद लोगों के घरों पर ही दोनों जरूरी प्रमाण पत्र भिजवाएगा। राज्य सरकार ने यह आदेश जारी कर निगम प्रशासन को निर्देशित किया है। शुरुआत जयपुर व जोधपुर शहरों में की गई है, यहां पूरी तरह से सफल होने के बाद इसे अन्य नगर निगम, नगर परिषदों व नगर पालिकाओं में शुरू किया जाएगा। जन्म-मृत्यु व विवाह प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन भी घर के निकट के ई मित्र केंद्र पर किया जा सकेगा।

हालांकि प्रमाण पत्र निगम प्रशासन के रजिस्ट्रार आफिस से ही बनेगा लेकिन ई मित्र संचालकों को

यह प्रमाण पत्र आवेदनकर्ता के घर तक पहुंचाना होगा। खास बात यह है कि इसका शुल्क भी अधिकतम 30 रुपए ही रखा गया है, जिसकी सूची भी ई मित्र संचालक को अपने केंद्र पर चस्पा करनी होगी। ग्रेटर नगर निगम के जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार प्रदीप पारीक ने बताया कि ई मित्र संचालकों के गड़बड़ी किए जाने की संभावना को देखते हुए सरकार ने निगम को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी है और ई मित्र संचालक की शिकायत मिलने पर उसका लाइसेंस भी रद्द किए जाने की कार्रवाई होगी। यह व्यवस्था लोगों को राहत दिए जाने के लिए सरकार ने शुरू की है, ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। निगम अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से आम लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी।